न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अमारी बनाम हरिया पुत्र चाहता फकीर चौरसी कांकवा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर कुल्ह

प्रकरण संख्या 45

निर्णय दिनांक :– 3-8-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चौरसी कांकवा की आ.ख.नं. 701 कुल रकबा 1-06 किस्म जमीन गैर मु. पायतन में से 0.01 ईयर कुल रकबे पर श्री हरिया पुत्र चाहता फकीर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 001 45 ईयर कुल कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अमारी द्वारा दिनांक 5-7-18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी हरिया पुत्र चाहता फकीर जाति फकीर निवासी अमारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी हरिया पुत्र चाहता फकीर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.नं. 701 रकबा 1-06 में से 0.01.45 है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनसायम को अतिक्रमित रकबे किस्म गैर मु. पायतन के रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0-06 का 50 गुणा 3-00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अमारी भू.अ.निरी. दारोदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०

प्रतिलिपि :– प. ह. ... क्रम संख्या 41 ... पृष्ठ 3
वर्ष 2018-19 ... 3/-
को कायमी की गई